स0स0—7/विविध—28—40/2021 – 400 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक— 30/01 /2025

विषय:— **राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कुल रू० 1754.99 करोड़ मात्र की स्वीकृत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024—25 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एन०एच०एम० एवं 15वें वित आयोग से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार द्वारा मॉडल प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित दर के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 78,50,00,000/—मात्र के विरूद्ध अवशेष राशि रू० 56,00,00,000/— मात्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 96,62,00,000/—मात्र के विरूद्ध अवशेष राशि रू० 49,00,00,000/—मात्र अर्थात् कुल रू० 1,05,00,00,000/— (रूपये एक अरब पाँच करोड़) मात्र के व्यय निमित विनुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि मन्त्रिपरिषद् की दिनाक—16 07 2021 की बैठक मे मद सख्या—20 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृति के पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या—176(10), दिनाक—27 07 2021 द्वारा राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओ के निस्तार एव सुदृढीकरण हेतु, रू० 1754 99 करोड के आकलित व्यय पर, 1015 स्वास्थ्य उप—केन्द्र एव 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वैसे 86 प्रखड जहॉ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित नही है इनके निर्माण एव एन०एच०एम० द्वारा निर्माण किये जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत्यादेश के आधार पर इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन RIDF (NABARD) द्वारा स्वीकृत ऋण/निर्धारित वार्षिक व्यय सीमा के अन्तर्गत की राशि से किया जाना था, किन्तु मंत्रिपरिषद् की दिनांक—22 11 2023 की बैठक मे मद संख्या—20 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृति के पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या—333(7), दिनाक—28 11 2023 द्वारा इस पर होने वाले व्यय का वहन सात निश्चय—2/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)/आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (ABHIM)/15 वे वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए स्थानीय निकायों हेतु स्वीकृत अनुदान अन्तर्गत बजट उपबध की राशि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2— दिनाक—22 08 2023 को कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता मे सम्पन्न बैठक मे उक्त योजनाओ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एन०एच०एम० एव 15वे वित्त आयोग से प्राप्त राशि एव राज्य सरकार द्वारा प्रति इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए निर्धारित दर रू० 7,69,00,000/— के विरूद्ध 123 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए कुल अन्तर राशि रू० 96,62,00,000/—, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए निर्धारित दर रू० 1,30,00,000/—के विरूद्ध 130 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए अन्तर राशि रू० 8,30,00,000/—एव स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के लिए निर्धारित दर रू० 75,00,000/—के विरूद्ध 794 स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के लिए अन्तर राशि रू० 70,20,00,000/—की मॉग स्वास्थ्य विभाग से करने का निर्णय लिया गया है।

3— उक्त के आलोक में बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना हेतु राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कुल रू० 1754 99 करोड मात्र की स्वीकृत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023—24 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एन०एच०एम० एव 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि एव राज्य सरकार द्वारा मॉडल प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित दर के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 78,50,00,000/—मात्र के विरूद्ध रू० 22,50,00,000/— मात्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 96,62,00,000/—मात्र के विरूद्ध रू० 47,62,00,000/—मात्र अर्थात् कुल रू० 70,12,00,000/— (रूपये सत्तर करोड बारह लाख) मात्र के व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति विभागीय पत्राक—456(7), दिनांक—29 01.2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

4— पुन बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओ के विस्तार एव सुदृढीकरण हेतु, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कुल रू० 1754 99 करोड मात्र की स्वीकृत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024—25 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एन०एच०एम० एव 15वे वित्त आयोग से प्राप्त राशि एव राज्य सरकार द्वारा मॉडल प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित दर के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 78,50,00,000/—मात्र के विरूद्ध अवशेष राशि रू० 56,00,00,000/— मात्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अन्तर राशि रू० 96,62,00,000/—मात्र के विरूद्ध अवशेष राशि रू० 49,00,00,000/—मात्र अर्थात् कुल रू० 1,05,00,00,000/— (रूपये एक अरब पॉच करोड) मात्र के व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— उक्त योजनाओ के निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के द्वारा सम्पन्न किया गया है। कार्यादेश निर्गत के उपरान्त योजनाओ का कार्यान्वयन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना तथा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा किया गया है। सभी परियोजनाओ मे चहारदीवारी निर्माण, वर्षा जल सचयन तथा सौर ऊर्जा का प्रावधान किया गया है।

6— स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर होने वाले व्यय का वहन मॉग सख्या—20 मुख्य शीर्ष 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—लघु शीर्ष—103—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— उपशीर्ष—0102—स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण—सात निश्चय—2 विपत्र कोड—20—4210021030102 अन्तर्गत विषय शीर्ष—53—01 मुख्य निर्माण कार्य मद एव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर होने वाले व्यय का वहन मॉग सख्या—20 मुख्य शीर्ष 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाए—लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय—उपशीर्ष—0119—स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण—सात निश्चय—2 विपत्र कोड—20—4210011100119 अन्तर्गत विषय शीर्ष—53—01 मुख्य निर्माण कार्य मद मे उपबधित राशि से किया जाएगा।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

8— बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्सबधी डी0सी0 विपत्र छ माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेगे ।

9– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनाक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनाक–31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11– प्रारूप मे सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/विविध– 28–40/2021 के पृष्ठ–52/टि0 मे प्राप्त है।

12– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

13– सबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

14– यह मात्र व्ययादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.1.25

(शम्भू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक–7/विविध–28–40/2021 – 400 (7) /स्वा0, पटना दिनाक– 30/01/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 एव सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.1.25

सरकार के अपर सचिव।